राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छाजूराम बनाम रामजीलाल 164/2022 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. के पिता भैरू पुत्र घिस्या ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा महंगी पटवार हल्का महंगी तहसील जमवारामगढ़, जयपुर में वादी के पिता घीस्या पुत्र रामचन्द्र के विरासत में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 65 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 66 रकबा 0.75 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 03 बीघा अनुसार स्थित है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार स्व. घीस्या पुत्र रामचन्द्र रहें है तथा वादी सं. 1 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता. 3 के पिता भोरियां मृतक घीस्या पुत्र रामचन्द्र की औरस संताने है, जो कि सगे भाई रहें है। वाद पत्र में आगे सजरा खानदान अंकित करते हुये कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार एवं वादी के पिता स्व. घीस्या पुत्र रामचन्द्र की विरासती वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 एवं प्रतिवादीगण के हकपूर्वज स्व. भोरियां का हिस्सा 1/2 हिस्सा नीहित रहता आया है, जिसके अनुसार ही वादी एवं स्व. भोरियां काबिज काश्तकार व हकखातेदार रहते आये है तथा भोरियां पुत्र घीस्यां की मृत्यु बाद वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 भी उक्त हिस्सों अनुसार ही काबिज काश्तकार चले आ रहें है, जिसके अनुसार ही वादी अपने हिस्से का राजस्व लगान अदा करता आया है। वादग्रस्त भूमि वादी के हकपूर्वज स्व. घीस्या पुत्र रामचन्द्र की विरासती भूमि है, जिनकी मृत्यु उपरांत उनके नाम दर्ज विरासती वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के हकपूर्वज व वादी के सगे भाई भोरियां का इंद्राज गलत दर्ज हुआ है, जिसके कारण भौरियां पुत्र घीस्यां की विरासत में वादी के हिस्सा 1/2 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के हित में त्रुटिपूर्ण अंकित खातेदारी चली आ रही है, जिसके विरूद्ध वादी अपने वंशानुगत हक खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि, अविभाजित हिन्दू परिवार की कोपार्सनी वंशानुक्रमी पैतृक वारीसान अनुसार भूमि होने की वजह से, वादी का वादग्रस्त आराजी में संयुक्त सामलाती अविभाजित हक व हिस्सा निहित है। वादी अपने वंशानुक्रम पिता की विरासत से प्राप्त वादग्रस्त आराजी में अपना हक अधिकार व हिस्सा घोषित कराकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त कराने का राजस्व अपील प्राधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छाजूराम बनाम रामजीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	164/2022	

अधिकारी है । वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण को, कॉमन अनसेसट्रल स्व. घीस्या पुत्र रामचन्द्र की विरासत में ही प्राप्त हुई है, जिसमें वादी का हक अधिकार हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 अनुसार कानूनी रूप से निहित है, जिसके अनुसार ही वादी काबिज काश्त है तथा वादी ने अपने हक अधिकार व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी सं. 1 ता 4 व उनके हकपूर्वज के हित में हकत्याग भी नहीं किया है, फिर भी वादी के हक अधिकार की वादग्रस्त आराजीयात सम्पूर्ण को प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के हकपूर्वज भोरियां पुत्र घीस्यां के नाम ही इन्द्राज कर तसदीक करते हुए, उनके बाद प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 के नाम जमाबंदी में गलत इंद्राज कर दिया गया तथा उक्त सम्पूर्ण राजस्व इंद्राज की कार्यवाही विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के विपरित होने की वजह से निरस्तनीय व दुरूस्तनीय है । दिनांक 05.04.2015 को प्रतिवादी सं. 1 ता 4 ने वादग्रस्त भूमि में वादी के अधिकारों से मना करते हुए वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात करने हेतु वादी को बेदखल करने की धमकी दे दिया इसलिए वादी के लिए घोषणा अधिकार खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत दावा पेश करना आवश्यक हुआ । वादपत्र के अन्त में दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा अधिकार डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी को हिस्सा 1/2 अनुसार एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 को सयुक्त हिस्सा 1/2 अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का राजस्व इन्द्राज करने व प्रतिवादीगण को राजस्व इन्द्राज दुरुस्ती करने के आदेश प्रदान किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये, तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम. प. रायसर में नियत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2016 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छाजूराम बनाम रामजीलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	164/2022	

द्वारा इकबालिया जवाब वाद प्रस्तुत कर वाद के तथ्यों को स्वीकारते हुये वाद के माध्यम से वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने की स्वीकारोक्ति प्रदान की गयी | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को लोक अदालत में नियत कर पक्षकारान की सहमति के आधार पर, जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, उसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रतीत नही होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2016 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर